न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक, इटावा

जिला कोटा (राज)

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
46 / 2022	23 / 05 / 2022	09/ 06/ 2023

बउनवान

कृष्णा कुमारी उर्फ बच्चीबाई पुत्री रामकल्याण मीना, पत्नि श्री संजय कुमार जाति मीना निवासी जोरावरपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 हाल निवासी कचोलिया तह0 दीगोद जिला कोटा राज0

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

– प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आरटीएक्ट

निर्णय

यह कि ग्राम जोरावरपुरा, तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में मुताबिक जमाबंदी संवत 2074–2077 खसरा नम्बर 244 रकबा 5037है0, खसरा नं0 247 रकबा 5.53है0, खसरा नं0 323 रकबा 0.22है0, खसरा नं0 57 रकबा 5. 07है0 कुल किता 4 कुल रकबा 16.19है0 भूमि स्थित है। जिसे वाद पत्र की आगे की मदों में विवादित आराजी कहा गया है।

यह कि विवादित आराजी वादी के खाते व कब्जा काश्त की आराजी है जिसमें वादी का नाम बच्ची पुत्री रामकल्याण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जोकि वादी के बचपन का नाम है किन्तु बाद के अन्य रिकॉर्ड यथा प्रशासनिक, स्कूल, राशनकार्ड, आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र तथा अन्य गावों के राजस्व रिकॉर्ड आदि में वादी का नाम कृशणा पुत्री रामकल्याण दर्ज है दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है किन्तु वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्वक कृष्णा पुत्री रामकल्याण के स्थान पर बच्ची पुत्री रामकल्याण दर्ज हो रहा है वादी के दो भिन्न–भिन्न रिकॉर्ड व नाम हो जाने के कारण वादी को कृषि विकास कार्यो को करवाने, बैंक लोन आदि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह इन्द्राज दुरूस्ती करवाये तथा वादी अपना नाम बच्ची पुत्री रामकल्याण के स्थान पर कृष्णा पुत्री रामकल्याण दर्ज करवाये। इस कारण वादी को

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

कृष्णा पुत्री रामकल्याण के नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकार है।

यह कि वादी का नाम कृष्णा पुत्री रामकल्याण के स्थान पर बच्ची पुत्री रामकल्याण दर्ज हो जाने के काण वादी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वादी ने प्रतिवादी से कई बाद राजस्व रिकॉर्ड की उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने बाबत निवेदन किया किन्तु उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया टाल–मटोल किया उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की तथा दिनांक 03.05.2022 को अन्तिम बाद निवेदन करने पर प्रतिवादी द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। इस कारण माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

यह कि वाद कारण विवादित आराजी वादी द्वारा दिनांक 03.05.2022 को प्रतिवादी से वादी का नाम दुरूस्त करने का निवदेन करने तथा प्रतिवादी द्वारा विवादित आराजी में वादी का नाम दुरूस्त करने से इन्कार करने व सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु आदे ाित करने पर उत्पन्न हुआ।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिकी पारित फरमायी जावे कि विवादित आराजी ग्राम जोरावरपुरा, तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में मुताबिक जमाबंदी संवत 2074–2077 खसरा नम्बर 244 रकबा 5037है0, खसरा नं0 247 रकबा 5.53है0, खसरा नं0 323 रकबा 0.22है0, खसरा नं0 57 रकबा 5.07है0 कुल किता 4 कुल रकबा 16.19है0 भूमि में वादी का नाम बच्ची रामकल्याण के स्थान पत्र कृष्णा पुत्री रामकल्याण दर्ज किया जावे तथा वादी को कृष्णा कुमारी के नाम से खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये समन्न की गई। वकील वादी द्वारा निवेदन किया की पत्रावली प्रशासन गाव के संग अभियान के दौरान आयोजित शिविर में सुनवाई कर वाद का निस्तारण फरमावे।

पत्रावली प्रशासन गाव के संग अभियान के तहत ग्राम पंचायत जोरावरपुरा के तहत आयोजित केम्प में प्रस्तुत की गई। प्रकरण मे पटवारी हल्का एवं भू0अ0निरीक्षक से संयुक्त रूप से रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का एवं भू0अ0निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट मे यह अवगत करवाया की प्रार्थी बच्ची पुत्री रामनारायण निवासी जोरावरपुरा का जमाबंदी संवत 2074–77 में नाम के सीन पर सम्मानजन नाम कृष्णा पुत्री रामकल्याण जांच की गई है जो सही है। अतः सम्मानजनक नाम कृष्णा पुत्री राम कल्याण के दुरूस्ती के आदेश प्रदान किया जाना उचित है।

वकील वादी द्वारा भी अपनी बहस मे वादी का नाम विवादित आराजीयात् में दुरस्त करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। माल ग्राम जोरावरपुरा की जमाबंदी संवत 2074–77 में वादी का नाम बच्ची पुत्री रामकल्याण दर्ज है। इसी प्रकार माल ग्राम इटावा की जमाबंदी संवत 2074–77 में वादी का नाम कृष्णा पुत्री रामकल्याण दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् शारदा बाल विधा. निकेतन इटावा का प्रमाण पत्र,राशनकार्ड,फोटो पहचान पत्र,आधारकार्ड,ग्राम पंचायत जोरावरपुरा का प्रमाण पत्र,ग्राम पंचायत डुगरज्या प0स0 सुल्तानपुर का प्रमाण पत्र इत्याद्वि में

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रे.
इटावा जिला कोटा

वादी का नाम कृष्णा पुत्री रामकल्याण दर्ज है। पटवारी हलका एवं भू0अ0निरीक्षक द्वारा भी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। पत्रावली मे केम्प के दौरान तैयार किया गया मजमेआम का पंचनामा भी संलग्न है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर माल ग्राम जोरावरपुरा, तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में मुताबिक जमाबंदी संवत 2074–2077 खसरा नम्बर 244 रकबा 5037है0, खसरा नं0 247 रकबा 5.53है0, खसरा नं0 323 रकबा 0.22है0, खसरा नं0 57 रकबा 5.07है0 कुल किता 4 कुल रकबा 16.19है0 भूमि में वादी का नाम बच्ची पुत्री रामकल्याण के स्थान पर कृष्णा पुत्री रामकल्याण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री मुर्तिब की जावे। विवादित आराजीयात् यदि रहन भार है तो यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक ......9/6/2023...... को कैम्प के दौरान लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
इटावा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा